सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 29, बुधवार, *शाके* 1947- अगस्त 20, 2025

Sravana 29, Wednesday, Saka 1947- August 20, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

RajKaj Ref No.: 17162128 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार **राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में नौ चौक से चांवडिया चौराहे तक हाईलेवल पुल का निर्माण** किया जाना है।

उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र. सं.	जिला	तहसील	गांव	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	भीलवाड़ा	जहाजपुर	जहाजपुर	**उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर**

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में निम्न सूची अनुसार प्रभावित क्षैत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.) को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा संबधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगें।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.) द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः–

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन–सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः–

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड–शाहपुरा
जिला–भीलवाड़ा (राज.)

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
मैसर्स आर वी इन्फ्रा कंसल्टेंट, जयपुर
(श्री कमलेश कुमार शर्मा–सोशल एक्सपर्ट)
मोबाईल : 9799899347

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव(पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।